एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री जे0एस0 राठौड़, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री अजीतसिंह राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय **दिनांकः 20 अगस्त, 2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के वाद संख्या 111/95 बउनवानी महेन्द्रसिंह बनाम दातारसिंह में पारित निर्णय दिनांक 21–09–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो0 ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बांसेड़ की राजस्व सीमा के ख0 नं0 226 रकबा 15 बिस्वा, 227 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 227/1 रकबा 15 बिस्वा बोलता नाम बारला, ख0 नं0 101 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा(2 बीघा, 102 रकबा 3 बीघा) बोलता नाम गोदा वाला, ख0 नं0 94 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा (2 बीघा बोलता नाम लीरी तथा ख0 नं0 98 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा) बोलता नाम खाडिया स्थित है। उक्त आराजी पहले सवाईसिंह की खातेदारी में थी उसके बाद रसालकंवर की खातेदारी में दर्ज की गई तथा रसालकंवर के बाद में प्रतिवादी दातारसिंह की खातेदारी में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी के मध्य एक वाद सिविल न्यायाधीश परबतसर में महेन्द्रसिंह बनाम दातारसिंह चला जिसका निर्णय दिनांक 30–5–1994 को जरिये राजीनामा हुआ।प्रतिवादी की नियत में फर्क आ गया है और वे वादीगण को उसकी कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करना चाहते है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें। दौराने वाद प्रतिवादी दातारसिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद में हमारी कोई व्यक्तिगत तामील नहीं हुई है तथा न ही वाद की प्रतिलिपि प्राप्त हुई। न्यायालय से चस्पान्दगी द्धारा तामील करवाने के आदेश दिये बगैर ही एवं दि0 25–5–97 को एकपक्षीय आदेश जारी कर दिये गये जबकि उक्त तारीख के लिए नोटिस जारी नहीं किये गये एवं न ही विधि

	निगरानी/टी.ए./5453/2004/नागौर दातारसिंह वगैरा बनाम महेन्द्रसिंह व अन्य	तारीख हुक्म
	अनुसार तामील हुई। दिनांक 25-9-97 की तामील विधि अनुसार नहीं होते हुए भी दिनांक 10-6-97 को जो एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है वह विधि के अनुसार सुप्रतिपादित सिद्धान्त के अन्तर्गत एकपक्षीय आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। प्रतिवादी ने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं बरती है तथा उक्त वाद में प्रतिवादी के आर्थिक हित निहित हैं। प्रतिवादी वाद को कन्टेस्ट करना चाहता है। प्रतिवादी लकवे की बीमारी से ग्रसित है तथा उसे एकपक्षीय आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी तथा वादी महेन्द्रसिंह को स्व0 सवाईसिंह ने कभी गोद नहीं लिया। प्रतिवादी न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहता है। अतः दि0 10-6-97 को एकपक्षीय आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 21-9-2004 को प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध एकतरफा मन्सुखी हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 24-9-2003 को पेश किया गया था। प्रतिवादी दातारसिंह स्वयं का देहान्त हो चुका है जिससे प्रार्थी स्वयं का प्रार्थना पत्र फौत होने से सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित कर दिये जिस आदेश दिनांक 21-9-2004 से अप्रसन्न होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- विद्वान उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । 4- दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या-1 के विरूद्ध एकतरफा मन्सूबों के लिए दिनांक 24-9-2003 को दरख्वास्त प्रस्तुत कर दी गयी थी। प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुई ना ही वाद की प्रतिलिपि ही प्राप्त हुई है तथा माननीय न्यायालय द्वारा तामील करवाने के आदेश दिये बगैर ही एवं दिनांक 25-5-1997 को तामील के आधार पर दिनांक 10-6-1997 को एकपक्षीय आदेश जारी कर दिये गये जबकि उक्त तारीख के लिये नोटिस जारी नहीं किये। प्रतिवादी लकवे की बीमारी से ग्रसित है, उसे एकपक्षीय आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी है। अतः प्रतिवादी के न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का उचित व संतोषजनक कारण है। अतः दिनांक 10-6-1997 को एकपक्षीय आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी को जवाब व अवसर प्रदान करावें। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश कानूनन विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 21-9-2004 को निरस्त किया जावें।	

	निगरानी/टी.ए./5453/2004/नागौर दातारसिंह वगैरा बनाम महेन्द्रसिंह व अन्य	तारीख हुक्म
	5– प्रतिउत्तर में गैर निगराकार सं01/अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 की तामील दिनांक 24–9–2003 की आदेशिका अनुसार हुई है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 पेश किया गया है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 दातारसिंह की नियमानुसार तामील हुई है। विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। इसलिए प्रार्थीगण की निगरानी खारिज योग्य है एवं परीक्षण न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। 6– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्धारा दिनांक 10–6–1997 के द्धारा प्रतिवादी सं0 1 से 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। प्रतिवादी सं0 1 दातारसिंह है और प्रतिवादी सं0 2 ल0 8 दातारसिंह के वारिसान है। स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 दातारसिंह के द्धारा प्रस्तुत किया गया है और दातारसिंह फौत हो चुका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्धारा दातारसिंह के फौत हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को प्रभावहीन होना मानते हुए खारिज किया है, वह सही है। चूंकि दातरसिंह के वारिसान प्रतिवादी सं0 2 ल0 8 हे और उनके खिलाफ भी दिनांक 10–6–1997 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश भी रेकार्ड पर हैं। अतः विधिक प्रक्रिया के अनुसार प्रतिवादीगण निगराकार को परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर ही आदेश 9 नियम 7 के तहत एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु चाराजोही करनी चाहिए थी। 8– अतः यह निगरानी इस निर्णय के साथ निस्तारित की जाती है कि निगराकारान/प्रतिवादी सं0 2 से 8 के खिलाफ पारित किये गये एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 10–6–1997 को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्धारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 प्रस्तुत करने की स्थिति में, उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय इस न्यायालय की एकलपीठ द्धारा प्रकरण सं0 5782/2003 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 20–8–2019 को भी अपने विचार में रखते हुए प्रार्थना पत्र आदेश	

	निगरानी/टी.ए./5453/2004/नागौर दातारसिंह वगैरा बनाम महेन्द्रसिंह व अन्य	तारीख हुक्म
	9 नियम 7 जा0दी0 का विधिसम्मत रूप से नैसर्गिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में निस्तारण करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–9–2019 को उपस्थित होकर अग्रिम चाराजोही कर सकते हैं। 8– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	